



विपणन संघ

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय: जहांगीराबाद, भोपाल पिन-कोड . 462008

TIN - 23024101648

PAN - AABAT4628H

क्रमांक./खाद लेखा/6256 /2016,

भोपाल,दिनांक 09.11.2016

प्रति

जिला विपणन अधिकारी,
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0
जिला-समस्त

विषय:- पाँच सौ रूपये तथा एक हजार रूपये के अंकित मूल्य की विद्यमान श्रृंखलाओं के बैंक नोट अवैध मुद्रा होने के संबंध में।

संदर्भ :-पत्र क्र./खाद/लेखा/10288/93, भोपाल, दिनांक 04/12/1993।

संदर्भित आदेश के अन्तर्गत दिये गये विस्तृत निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में संघ के गोदामों से नगद खाद विक्रय किया जा रहा है। विषयान्तर्गत वित्त मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-10/3/2016-सी.वाई-आई., दिनांक 08/11/2016 के माध्यम से पाँच सौ रूपये तथा एक हजार रूपये के अंकित मूल्य की विद्यमान श्रृंखलाओं के बैंक नोटों को अवैध मुद्रा करार दिया गया है। उक्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का प्रयोग केवल आपत्तिक और अत्यावश्यक संव्यवहार करने में जनता की सुविधा के लिए कतिपय छूटों के अधिसूचित किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगद खाद विक्रय को सम्मिलित नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त जिला कार्यालय स्तर पर लेखा पुस्तकों अनुसार नगद शेष एवं नगद खाद विक्रय की शेष बची राशि को आवश्यक लेखा समायोजन उपरान्त नगद खाद विक्रय खातों में जमा किये जायें। यह राशि बैंक में जमा होने तक जिला कार्यालय स्तर पर सुरक्षा से चेस्ट में रखी जावे।

अतः उक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि संघ के गोदामों से नगद खाद विक्रय हेतु अथवा जिला कार्यालय से संबंधित अन्य संव्यवहारों हेतु ही उक्त पाँच सौ तथा एक हजार रूपये के अंकित मूल्य के विद्यमान श्रृंखलाओं के विनिर्दिष्ट नोटों का आदान-प्रदान अवैध मानते हुए उक्त विनिर्दिष्ट नोटों का संव्यवहार न किया जाये तथा आर.बी.आई. द्वारा जारी किये जाने वाले नवीन अधिसूचित विनिर्दिष्ट पाँच सौ एवं दो हजार के नोटों का ही उपयोग किया जावे।


उक्तानुसार दिए निर्देशों एवं अधिसूचना अनुसार दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।


संलग्न :- यथोपरि

6256
9.11.2016

प्रतिलिपि :-

1. मण्डल प्रबंधक (समस्त), म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0
2. शाखा प्रमुख (समस्त), म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0


(बी0एम0 शर्मा)
प्रबंध संचालक


प्रबंध संचालक



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2653]
No. 2653]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 2016/कार्तिक 17, 1938
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 2016/KARTIKA 17, 1938

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवंबर, 2016

का.आ. 3408(अ).—केंद्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 8 नवंबर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 10/3/2016-सीआई-1 तारीख 8 नवंबर, 2016 द्वारा यह घोषणा की है कि पांच सौ रुपए तथा एक हजार रुपए के अंकित मूल्य की विद्यमान श्रृंखलाओं के बैंक नोट (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट बैंक नोट कहा गया है) 9 नवंबर, 2016 से ही वैध मुद्रा नहीं रहेगी ;

और विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का प्रयोग करने वाले कतिपय आपातक और अत्यावश्यक संव्यवहार करने में जनता की सुविधा के लिए कतिपय छूटों को अधिसूचित करना आवश्यक हो गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि विनिर्दिष्ट बैंक नोट 9 नवंबर, 2016 से 11 नवंबर, 2016 तक नीचे विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के विस्तार तक वैध मुद्रा नहीं रहेगी, अर्थात् :—

- (क) चिकित्सकों के नुस्खों के साथ औषधियां क्रय करने के लिए सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार और फार्मसी के लिए सरकारी अस्पतालों में संचालन करने हेतु ;
- (ख) रेल टिकट काउंटरों, सरकारी या पब्लिक सेक्टर उपक्रम की बसों के टिकट काउंटरों पर और टिकट के क्रय के लिए विमानपत्तनों पर एयरलाइन टिकट काउंटरों पर ;
- (ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के प्राधिकार के अधीन प्रचालित उपभोक्ता सहकारी भंडारों पर क्रय के लिए ;
- (घ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे दुग्ध बूथों पर क्रय के लिए ;

- (ड) पब्लिक सेक्टर तेल विपणन कंपनियों के प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे स्टेशनों से पेट्रोल, डीजल और गैस के क्रय के लिए ;
- (च) शवदाह गृहों और कब्रिस्तानों में संदाय के लिए ;
- (छ) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में, आगमन और प्रस्थान करने वाले ऐसे यात्रियों के लिए, जो ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोट रखते हैं, जिनका मूल्य वैध मुद्रा विशेषता रखने वाले नोटों के लिए उनका विनिमय करने के लिए पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ;
- (ज) विदेशी पर्यटकों के लिए, विदेशी मुद्रा या विनिर्दिष्ट बैंक नोट, जिनका मूल्य, वैध मुद्रा की विशेषता रखने वाले नोटों के लिए उनका विनिमय करने के लिए पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है, का विनिमय करने के लिए ।

2. पैरा 1 में निर्दिष्ट सभी स्थापन 9 नवंबर, 2016 और 11 नवंबर, 2016 के बीच की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों से किए गए संव्यवहारों के स्टॉक और विक्रय के अभिलेख का पूरा लेखा-जोखा रखेंगे ।

[फा.सं. 10/03/2016-सीवाई. I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th November, 2016

S.O. 3408(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, *vide* F. No. 10/3/2016-Cy.I dated 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th November, 2016; the Central Government declared that the bank notes of existing series of denomination of the value of five hundred rupees and one thousand rupees (hereinafter referred to as the specified bank notes), shall cease to be legal tender on and from the 9th November, 2016;

And whereas, it has become necessary to notify certain exemptions for the convenience of the members of public in carrying out certain emergent and urgent transactions using the specified bank notes;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby declares that the specified bank notes shall not be ceased to be legal tender, with effect from the 9th November, 2016 until the 11th November, 2016, to the extent of transactions specified below, namely:—

- (a) for making payments in Government hospitals for medical treatment and pharmacies in Government hospitals for buying medicines with doctor's prescription;
- (b) at railway ticketing counters, ticket counters of Government or Public Sector Undertakings buses and airline ticketing counters at airports for purchase of tickets;
- (c) for purchases at consumer cooperative stores operated under authorisation of Central or State Governments;
- (d) for purchase at milk booths operating under authorisation of the Central or State Governments;
- (e) for purchase of petrol, diesel and gas at the stations operating under the authorisation of Public Sector Oil Marketing Companies;
- (f) for payments at crematoria and burial grounds;

- (g) at international airports, for arriving and departing passengers, who possess specified bank notes, the value of which does not exceed five thousand rupees to exchange them for notes having legal tender character;
- (h) for foreign tourists to exchange foreign currency or specified bank notes, the value of which does not exceed five thousand rupees to exchange them for notes having legal tender character.
2. All establishments referred to in paragraph 1, shall maintain complete account of record of stock and sale of transactions made with the specified bank notes during the period between 9th November, 2016 and 11th November, 2016.

[F. No. 10/03/2016-Cy. I]
Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.